(163)

(270)

विलोपित / विलोपित

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R 5507-दो/16

राजस्व निगरानी प्र0क0-......./16-17

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

आम जनता ग्राम ताली द्वारा रामकुबेर ब्राम्हण पिता श्री भइयालाल ब्राम्हण निवासी ताली वृत्त बरौधा तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0...निगराकार

बनाम

रामानुज ब्राम्हण पिता श्री रामभजन ब्राम्हण निवासी ताली वृत्त बरौधा तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0................गैरनिगराकार

आवेदक श्री रामकुबेर ग्रा. द्वारा स्वतः प्रस्तुत किया गया। 25-11-16

25-11-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय प्रभारी वृत्त बरौधा तहसील मझगवां जिला सतना के न्यायालय के प्र0क0-2ए5/12-13 मे पारित आदेश दिनांक 29/09/16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं

माननीयवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी नं0-195 वाका मौजा शाहपुर वृत्त बरौधा तहसील मझगवां पूर्व मे म0प्र0शासन की भूमि थी जिस पर ग्राम के रहवासियो के लिये आने जाने का कदीमी रास्ता चला आ रहा था बाद मे अनावेदक/गैरनिगराकार व अन्य व्यक्तियो के द्वारा मनमानी तौर पर पटवारी व स्थानीय राजस्व अधिकारियो को प्रभावित कर विधि विरुद्ध तरीके से आरजी नं0-195 के अंश रकबे का फर्जी पट्टा प्राप्त कर लिये थे तथा तत्कालीन पटवारी को प्रभाव मे लेकर आराजी नं0-195 के मनमानी रूप से बटांक खसरे मे व सर्वे बन्दोबस्ती नक्शा मे अंकित करवा दिया गया तथा मूल नंम्बर मे 195/1ग, 195/1घ तथा 195/? बटांक हो गये आराजी नं0-195/1ग रामलाल व रामभजन के नाम तथा 195/1घ शित

रामकुबेर

-----2

(163)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5507 II / 2016 जिला–सतना

आमजनता ग्राम ताली / रामानुज ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामानन्द मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त बरौंधा, तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 02 / अ–5 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	